

फैक्स एवं
ई-मेल

बिहार सरकार
विधि विभाग
ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-23/2017...../जे0, पटना, दिनांक 19-01-18
सेवा में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कटिहार एवं गया।

विषय:- मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन न्यायालय, उपशीर्ष-0001-सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत यात्रा व्यय एवं आतिथ्य व्यय विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से व्यय हेतु निम्न प्रकार कुल-3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) रुपये का अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

II आवंटित राशि का व्यौरा II

क्र0सं0	न्यायमंडल का नाम	11.01- यात्रा व्यय	20.01- आतिथ्य व्यय	योग
1.	कटिहार	1,50,000	-----	1,50,000
2.	गया	-----	2,00,000	2,00,000
	कुल:-	1,50,000	2,00,000	3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) रुपये

प्रसंग:- पत्रांक-08, दिनांक-08.01.2018 एवं 50, दिनांक-09.01.2018

आदेश:- स्वीकृत।

- व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन न्यायालय, उपशीर्ष-0001-सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत यात्रा व्यय एवं आतिथ्य व्यय विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में होगा।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि0(2), दिनांक-17.4.1998 में दिये गये निर्देश के आलोक में दिया जाता है।
- वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-428/वि0, दिनांक-31.03.2017 के आलोक में उपबंधित राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- कृपया मासिक व्यय विवरणी शीघ्र भेजा जाय। लेखा सत्यापन हेतु ससमय विहित प्रपत्र में व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
- इस शीर्ष की माँग संख्या-27 एवं विपत्र कोड-27-2014001050001 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-23/2017...../जे0, पटना, दिनांक 19-01-18

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, कटिहार एवं गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-23/2017...../जे0, पटना, दिनांक 19-01-18

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया एवं गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-23/2017...../जे0, पटना, दिनांक 19-01-18

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।
18/1/18.